No.CDN-27011/2/2018-CDN-MCA
Government of India
Ministry of Corporate Affairs

5th Floor, 'A' Wing, Shastri Bhavan
Dr. Rajendra Prasad Road
New Delhi-110 001
Dated: 12.09.2018

A copy of the Monthly Summary of the Ministry of Corporate Affairs for the month of August, 2018 is enclosed for information.

(Nilratan Das)
Under Secretary to the Govt. of India
Tele: 23389622

Encl. As above.

All Members of the Council of Ministers

Copy, with enclosures, forwarded to:

1 Secretary to the President of India, Rashtrapati Bhawan, New Delhi
2. Secretary to the Vice- President of India, Vice President Secretariat, New Delhi.
3 The Principal Director General, Ministry of I & B, Shastri Bhawan, New Delhi
4. Secretary, Deptt. of Telecommunications, Sanchar Bhawan, New Delhi
5. Secretary, Deptt. of Higher Education, Shastri Bhawan, New Delhi
6. Secretary, Deptt. of Statistics, Sardar Patel Bhawan, New Delhi
7. Secretary, Legislative Deptt., Shastri Bhawan, New Delhi
8. Secretary, Deptt. of Scientific & Industrial Research, C.S.I.R Building, Rafi Marg, New Delhi
9. Secretary, Ministry of Environment & Forest, Paryavaran Bhawan, New Delhi
10. Secretary, Ministry of Urban Development, Nirman Bhawan, New Delhi
11. Secretary, Deptt. of Revenue, North Block, New Delhi
12. Secretary, Deptt. of Industrial Development, Udyog Bhawan, New Delhi
13. Secretary, Deptt. of Defence Production & Supplies, South Block, New Delhi
14. Secretary, Deptt. of Legal Affairs, Shastri Bhawan, New Delhi

Copy to:

(i) Economic Advisor, MCA
(ii) PPS to Secretary, Ministry of Corporate Affairs
(iii) PPS to Additional Secretary, Ministry of Corporate Affairs

Copy, also to: Dir (AK) - To upload the communication on official website of the MCA - under the caption "Monthly Summary of the Ministry of Corporate Affairs for the month of August, 2018"

(Nilratan Das)
Under Secretary to the Govt. of India

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

IMPORTANT POLICY DECISIONS TAKEN AND MAJOR ACHIEVEMENTS DURING THE MONTH OF AUGUST, 2018

(1) Notifications:-

(i) Section 10 of the Companies (Amendment) Act, 2017, which replaced section 42 of the Companies Act, 2013 [Private placement], has been brought into force w.e.f. 7th August, 2018 vide notification No. S.O. 3921(E) dated 07.08.2018.

(ii) The Companies (Prospects and Allotment of Securities) Rules, 2014 has been amended to substitute the Rule 14 relating to private placement and accordingly, form no. PAS-4 has been modified. (Notification No. G.S.R 752(E) dated 07.08.2018).

(iii) The Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014 has been amended for extending the date from 31st August, 2018 to 15th September, 2018 for filing of eform DIR-3 KYC without fee and fee of Rs.5000/- shall be payable on or after the 16th September, 2018. (Notification No. G.S.R. 797(E) dated 21.08.2018).

(iv) The Companies (Appointment and Qualification of Director) Rules, 2014 has been amended to extend the date of submission of e-form 'DIR-3 KYC' from 31st August, 2018 to 15th September, 2018. The form no. DIR-3 KYC has also been amended to facilitate the foreign Directors to provide their residential address in the said form. (Notification No. G.S.R. 798(E) dated 21.08.2018).

(2) The Committee constituted by MCA in July, 2018 to review the existing framework dealing with offences under the Companies Act, 2013 and related matters submitted its report to Honorable CAM on 27th August, 2018. The Committee has, inter alia, recommended that existing rigor of the law should continue for serious offences and lapses that are essentially technical or procedural in nature may be shifted to in-house adjudication process. The Committee observed that this would also reduce the number of prosecutions filed in Special Courts, which would, in turn, facilitate speedier disposal of serious offences and bring serious offenders to book. As per the Committee, the cross-cutting liability under section 447, which deals with corporate fraud, should continue to apply wherever fraud is found. The Committee has also made

recommendations for de-clogging the National Company Law Tribunal. The report also makes recommendations with regard to certain provisions related to corporate governance such as declaration of commencement of business, maintenance of a registered office, protection of depositors' interests, registration and management of changes, declaration of significant beneficial ownership, and independence of Independent Director. The report of the Committee has been placed on the website of the MCA.

(3) Ex-post facto approval of the "Memorandum of Understanding (MoU)" signed in 2011 and approval for signing of MoU between 'Institute of Chartered Accountants of India (ICAI)' and 'Chartered Professional Accountants of Canada (CPA Canada)' was approved by the Cabinet on 09-08-2018.

(4) Online applications have been invited for filling up of 14 posts of Judicial Member and 22 posts of Technical Member in National Company Law Tribunal.

(5) Insolvency and Bankruptcy (Second Amendment) Bill, 2018 has been passed in Rajya Sabha on 10.08.2018 and received Presidential assent on 17.08.2018.

सं. सीडीएन-27011/2/2018-सीडीएन-एमसीए

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

5वां तल, ए विंग, शास्त्री भवन,

डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली-110001

तारीखः 12.09.2018

कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अगस्त, 2018 माह के मासिक सार की प्रति सूचना हेतु संलग्न है।

नीलरतन दास

(नीलरतन दास)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाषः 23389622

अनुलग्नक - उपरोक्तानुसार

मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य

प्रतिलिपि, संलग्नक सहित, निम्नलिखित को प्रेषित-

1. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
2. भारत के उप राष्ट्रपति के सचिव, उपराष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली
3. प्रधान महानिदेशक, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
4. सचिव, दूरसंचार विभाग, संचार भवन, नई दिल्ली
5. सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
6. सचिव, सांख्यिकी विभाग, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली
7. सचिव, विधायी विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
8. सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, सीएसआईआर बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली
9. सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली
10. सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली
11. सचिव, राजस्व विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
12. सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली
13. सचिव, रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली
14. सचिव, विधि कार्य विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

प्रतिलिपि प्रेषितः (i) आर्थिक सलाहकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय

(ii) सचिव के प्रधान निजी सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय

(iii) अपर सचिव के प्रधान निजी सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय

प्रतिलिपि प्रेषितः निदेशक (ए.के.) - एमसीए वेबसाइट पर "कारपोरेट कार्य मंत्रालय का अगस्त, 2018 का मासिक सार" के अंतर्गत अपलोड करने के लिए

नीलरतन दास

(नीलरतन दास)

अवर सचिव, भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अगस्त, 2018 माह के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और प्रमुख उपलब्धियां

(1) अधिसूचनाएं:-

(i) कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 की धारा 10, जो कंपनी अधिनियम, 2013 (निजी स्थापन) की धारा 42 को प्रतिस्थापित करती है, दिनांक 07.08.2018 की अधिसूचना संख्या का.आ.3921(अ) द्वारा दिनांक 07 अगस्त, 2018 को प्रवृत्त की गई है।

(ii) कंपनी (प्रोस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आबंटन) नियम, 2014 में निजी स्थापन से संबंधित नियम 14 को प्रतिस्थापित करने के लिए संशोधन किया गया है और तद्नुसार, प्ररूप संख्या पीएएस-4 में संशोधन किया गया। [दिनांक 07.08.2018 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.752(अ)]।

(iii) कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय एवं फीस) नियम, 2014 में ई-प्ररूप डीआईआर-3 केवाईसी नि:शुल्क दायर करने की समय-सीमा दिनांक 31 अगस्त, 2018 से बढाकर 15 सितंबर, 2018 करने हेतु तथा 16 सितंबर, 2018 को या उसके बाद दायर करने करने पर 5000/- रुपए का शुल्क करने के लिए संशोधन किया गया है। [दिनांक 21.08.2018 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.797(अ)]।

(iv) कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 में ई-प्ररूप 'डीआईआर-3 केवाईसी, जमा कराने की तारीख 31 अगस्त, 2018 से बढाकर 15 सितंबर, 2018 करने हेतु संशोधन किया गया है। विदेशी निदेशकों को उक्त प्ररूप में अपने आवासीय पते का उल्लेख करने की सुविधा देने हेतु प्ररूप संख्या डीआईआर-3 केवाईसी में भी संशोधन किया गया है। [दिनांक 21.08.2018 की अधिसूचना संख्या 798(अ)]।

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अपराधों और उससे संबंधित मामलों को देखने वाले वर्तमान ढांचे की पुनरीक्षा करने हेतु जुलाई, 2018 में कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा गठित समिति ने दिनांक 27 अगस्त, 2018 को माननीय कारपोरेट कार्य मंत्री को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। समिति ने, अन्य बातों के साथ-साथ, सिफारिश की है कि वर्तमान कठोर कानून को गंभीर अपराधों के लिए जारी रखा जाना चाहिए और जो त्रुटियां जो वास्तव में तकनीकी या प्रक्रियात्मक प्रकृति की हैं उन्हें आंतरिक क्षेत्राधिकार प्रक्रिया में रखा जाए। समिति ने पाया कि इससे विशेष न्यायालयों में दायर अभियोजनों की संख्या में कमी भी आएगी, जिससे गंभीर अपराधों के निपटान में तीव्रता आएगी तथा गंभीर अपराधियों के विरूद्ध मामला दर्ज किया जा सकेगा। समिति के अनुसार, यदि कहीं धोखाधड़ी पाई जाती है तो धारा 447, जो कारपोरेट धोखाधड़ी से संबंधित है, के तहत क्रॉस कटिंग देयता को लागू करना जारी रखा जाए। समिति ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण में अवरोध उत्पन्न नहीं करने हेतु भी सिफारिश की है। रिपोर्ट में कारपोरेट गवर्नेंस से संबंधित कुछ प्रावधानों जैसे कि व्यवसाय आरंभ करने की घोषणा, पंजीकृत कार्यालय का रखरखाव, जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा, परिवर्तनों का पंजीकरण और प्रबंधन, महत्वपूर्ण लाभदायी स्वामित्व की घोषणा और स्वतंत्र

निदेशकों की स्वतंत्रता आदि से संबंधित सिफारिशें भी की हैं। समिति की रिपोर्ट कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर रखी गई है।

(3) वर्ष 2011 में हस्ताक्षरित "समझौता ज्ञापन (एमओयू)" के कार्योत्तर अनुमोदन तथा 'भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई)' और 'चार्टर्ट प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स ऑफ कनाडा (सीपीए कनाडा)' के बीच एमओयू हस्ताक्षर करने हेतु अनुमोदन दिनांक 09.08.2018 को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था।

(4) राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण में न्यायिक सदस्यों के 14 पदों और तकनीकी सदस्यों के 22 पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

(5) दिलावा और शोधन अक्षमता (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2018 दिनांक 10.08.2018 को राज्यसभा में पारित किया गया और दिनांक 17.08.2018 को राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त हुआ।

******